राजस्व लोक अदालत कैम्प मेवानगर तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 64/2018

वादीगण :- 1 शोभसिंह पुत्र अर्जुन सिंह राजपूत निवासी मेवानगर

बनाम

प्रतिवादीगण :- 1. तहसीलदार पचपदरा जरिये राज0सरकार

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्ध

आदेश दिनांकः-21.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत मेवानगर मे प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम मेवानेंगर के खसरा न0 1380/56, रकबा 04 बीघा, ख0न0 667/165 रकबा 26.15 बीघा मे अपीलाण्ट के खातेदारी हक हिस्सा जरिये नामान्तरकरण संख्या 1471 दर्ज करते समय अपीलाण्टगण का अशुद्व नाम सौभाग्यसिंह दर्ज किया गया है। जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार शोभसिंह है। अतः अपीलाण्ट का सही नाम शोभसिंह पुत्र अर्जुनसिंह करने का निवेदन किया है ।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत ब्यानकर्ता सरंपच ग्राम पंचायत मेवानगर, पटवारी मेवानगर/आर. आई तिलवाडा/ उपतहसीलदार जसोल व प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, राशकार्ड, परिचय पत्र व पेनकार्ड की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे सौभाग्यसिंह की जगह शोभसिंह पुत्र अर्जुनसिंह नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्व नाम सौभाग्यसिंह की जगह शोभसिंह पुत्र अर्जुनसिंह करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसला सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प मेवानगर

Scanned by CamScanner